



प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

का०आ०सं०- डब्लू०एम०- II/ वा०सा०स्था०- 22/2022-23/ 56
दिनांक- 08/ 08/ 2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या- डब्लू०एम०- II/ वा०सा०स्था०- 22/2022-23/ 51 दिनांक- 23 / 07/ 2022 के क्रम में यह सूचित करना है की प्रमंडलों के वर्गीकरण में आंशिक संशोधन के कारण विकल्प समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 10.08.2022 से बढ़ाकर दिनांक- 12.08.2022 किया जाता है। कार्यालय आदेश की शेष बातें यथावत रहेंगी। संशोधित विकल्प सिर्फ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी ग्रेड- II एवं प्रमंडलीय लेखाकार हीं समर्पित कर सकते हैं। वह बंद लिफाफे के ऊपर "संशोधित विकल्प AGT- 22 हेतु" लिखते हुए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के सचिवालय स्थित ड्राप बॉक्स में अपनी सूचना रजिस्टर में अंकित करते हुए विकल्प डाल सकते हैं। संशोधित विकल्प की स्थिति में पूर्व विकल्प को नहीं खोला जाएगा। वरीय प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी ग्रेड- I अपना विकल्प विस्तारित अवधि (जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं डाला है) तक डाल सकते हैं।

सहायक लेखा अधिकारी
डब्लू० एम०- II